भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2834

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

2834. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्नों के नियमित आवंटन को पुनः आरंभ करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार घाटे से निपटने की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को 1 किलोग्राम प्रति क्विंटल की दर से घाटा उठाने की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रही है, ताकि उन्हें स्टॉक में कमी के लिए जवाबदेह न ठहराया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई अतिरिक्त वित्तीय या प्रशासनिक दायित्व दिए बिना उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से एनएफएसए के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन, तत्कालीन योजना आयोग द्वारा निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या कवरेज के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान और अधिनियम के तहत निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के आधार पर किया जाता है, अर्थात अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह। अधिनियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि उपरोक्त के आधार पर, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वार्षिक खाद्यान्न आबंटन तत्कालीन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान से कम है, तो उसे "टाइड-ओवर" आबंटन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

...2/-

जब कभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, उस राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर नए लाभार्थियों को जोड़ने के कारण अधिनियम के तहत खाद्यान्न आबंटन में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और मौजूदा नीति के अनुसार संशोधित आबंटन आदेश जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग): टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 11 के उप-खंड (2) के अनुसार, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निगम के गोदामों से जारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के स्टॉक को भंडारण, पारगमन या किसी अन्य चरण के दौरान राशन कार्ड धारक को वितरण तक न तो उसे बदला जाएगा और न ही उससे छेड़छाड़ की जाएगी और एफपीएस डीलरों को नुकसान से निपटने के लिए मुआवजा प्रदान करने का कोई भी निर्णय राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकारों को दिनांक 10.05.2021 के पत्र के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एफपीएस डीलरों को होने वाले रखरखाव नुकसान को कम से कम किया जा सके। एफपीएस डीलरों को नुकसान से निपटने के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई भी निर्णय राज्य सरकार के पास है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। उचित दर दुकानों (एफपीएस) को लाइसेंस जारी करने, उचित दर दुकानों के संचालन का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि सहित संचालन संबंधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 9 के उप-खंड (9) के अनुसार, राज्य सरकार उचित दर दुकानों के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार के लिए उचित दर दुकानों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देगी।

*****